# न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 239/23 (धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956) (RCMS No.2023/259)

लोकेन्द्रसिंह पुत्र रघुवीरसिंह जाति राजपूत निवासी सारसोप तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधेपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

सुरेन्द्रसिंह पुत्र रघुवीरसिंह जाति राजपूत निवासी सारसोप तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधेपुर। हाल 55 ग्रीन नगर , दुर्गापुरा जयपुर।

..... रैस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 75 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश उपखण्डाधिकारी चौथ का बरवाडा मु0नं0 2/2015 सरकार बनाम सुरेन्द्रसिंह निर्णय दिनांक 13.2.2015 (136 एल आर एक्ट)

उपस्थितिः–

श्री गोविन्दसिंह डागुर वकील अपीलान्ट।

## निर्णय

दिनांकः–27.02.2024

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 उपखण्डाधिकारी चौथ का बरवाडा के निर्णय दिनांक 13.2.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि रैस्पोडेन्ट सुरेन्द्रसिंह द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल आर एक्ट इस आशय का तहत अदालत के समक्ष पेश किया गया है कि ग्राम सारसोप के खसरा नम्बर 1661 रकबा 11 बीघा 3 विस्वा की खातेदारी लोकेन्द्र सिंह, श्री बक्स सिंह पुत्र रघुवीर सिंह जाति राजपूत निवासी सारसोप के नाम सम्वत 2041 लगायत 2044 की जमाबन्दी में दर्ज थी। रैस्पोडेन्ट सुरेन्द्रसिंह का नाम राजस्व रिकार्ड में गलती से श्री बक्स सिंह दर्ज हो जाने से शुद्धि हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 29.10.2001 को श्री बक्स सिंह पुत्र श्री रघुवीरसिंह के स्थान पर सुरेन्द्रसिंह पुत्र श्री रघुवीरसिंह दर्ज करने का आदेश होकर सम्वत 2041 से 2044 की जमाबन्दी में दुरूस्त कर दी गई थी, लेकिन बन्दोवस्त का हाल रिकार्ड प्राप्त होने पर भूमि की खातेदारी पुनः लोकेन्द्रसिंह, श्री बक्ससिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह के नाम खसरा नम्बर 700 रकबा 2.82 हैक्टेयर दर्ज कर दी गई है। तहसीलदार को दुरूस्ती हेतु पुनः आवेदन करने पर पटवारी, गिरदावर से जांच रिपोर्ट लेने के बाद अपने पत्र कमांक एलआर/1532 दिनांक 29.12.2014 द्वारा ग्राम सारसोप के खाता संख्या 910 जमाबन्दी सम्वत 2069 लगायत 72 में श्री बक्स सिंह

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

के स्थान पर सुरेन्द्रसिंह दर्ज करने के आदेश जारी किय गये, परन्तु राजस्व रिकार्ड में उक्त गलती बन्दोवस्त के पहले की होने से उक्त आदेश का अमल रोक दिया गया है, क्योंकि शुद्धि करने के लिये तहसीलदार सक्षम नहीं है। भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत उपखण्डाधिकारी उक्त दुरूस्ती करने के लिऐ सक्षम है। अतः ग्राम सारसोप के खसरा नंबर 700 में प्रार्थी/रैस्पोडेन्ट का नाम श्री बक्ससिंह पुत्र श्री रघुवीरसिंह के स्थान पर सुरेन्द्रसिंह पुत्र रघुवीरसिंह दुरूस्ती करने का आदेश प्रदान किया जावे। तहत अदालत द्वारा बाद कार्यवाही अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.2.2015 पारित करते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिये कि ग्राम सारसोप के हाल खाता संख्या 916 जमाबन्दी सम्वत 2069–72 में खसरा नम्बर 700 रकबा 2.82 हैक्टेयर में श्री बक्ससिंह पुत्र रघुवीरसिंह के स्थान पर सुरेन्द्रसिंह पुत्र रघुवीर सिंह सा0 देह सारसोप दर्ज किया जावे। उपखण्डाधिकारी चौथ का बरवाडा के उक्त आदेश दिनांक 13.02.2015 के खिलाफ यह अपील अपीलान्ट श्री लोकेन्द्रसिंह के द्वारा अदालत हाजा में पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। बाबजूद सूचना रैस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं। वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.02.2015 विधिविरूद्ध व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र रैस्पोडेन्ट सुरेन्द्रसिंह द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया था कि ग्राम सारसोप के खसरा नम्बर 1661 रकबा 11 बीघा 3 विस्वा की खातेदारी लोकेन्द्र सिंह, श्री बक्स सिंह पुत्र रघुवीर सिंह जाति राजपूत निवासी सारसोप के नाम सम्वत 2041 लगायत 2044 की जमाबन्दी में दर्ज थी, रैस्पोडेन्ट सुरेन्द्रसिंह का नाम राजस्व रिकार्ड में गलती से श्री बक्स सिंह दर्ज हो जाने से शुद्धि हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 29.10.2001 को श्री बक्स सिंह पुत्र श्री रघुवीरसिंह के स्थान पर सुरेन्द्रसिंह पुत्र श्री रघुवीरसिंह दर्ज करने का आदेश होकर सम्वत 2041 से 2044 की जमाबन्दी में दुरूस्त कर दी गई थी, लेकिन बन्दोवस्त का हाल रिकार्ड प्राप्त होने पर भूमि की खातेदारी पुनः लोकेन्द्रसिंह, श्री बक्ससिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह के नाम खसरा नम्बर 700 रकबा 2.82 हैक्टेयर दर्ज कर दी गई है। तहसीलदार को दुरूस्ती हेतु पुनः आवेदन करने पर पटवारी, गिरदावर से जांच रिपोर्ट लेने के बाद अपने पत्र कमांक एलआर/1532 दिनांक 29.12.2014 द्वारा ग्राम सारसोप के खाता संख्या 910 जमाबन्दी सम्वत 2069 लगायत 72 में श्री बक्स सिंह के स्थान पर सुरेन्द्रसिंह दर्ज करने के आदेश जारी किये गये, परन्तु राजस्व रिकार्ड में उक्त गलती बन्दोवस्त के पहले की होने से उक्त आदेश का अमल रोक दिया गया है, क्योंकि शुद्धि करने के लिये तहसीलदार सक्षम नहीं थे। भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत उपखण्डाधिकारी उक्त दुरूस्ती करने के लिए सक्षम होने के आधार पर रैस्पोडेन्ट ने

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर
27/2/2015
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा के न्यायालय में ग्राम सारसोप के खसरा नम्बर 700 में श्री बक्ससिंह पुत्र श्री रघुवीर के स्थान पर प्रार्थी सुरेन्द्रसिंह पुत्र रघुवीर सिंह दुरूस्त करने का आदेश दिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस पर तहसीलदार चौथ का बरवाडा से रिपोर्ट तलब की गई। बाद रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम सारसोप के हाल खाता संख्या 916 जमाबन्दी सम्वत 2069–72 में खसरा नम्बर 700 रकबा 2.82 है0 में श्री बक्ससिंह पुत्र रघुवीरसिंह के स्थान पर सुरेन्द्रसिंह पुत्र रघुवीर सिंह साकिन देह सारसोप दर्ज किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.02.2015 के द्वारा दिये जो कि विधिविरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। रैस्पोडेन्ट द्वारा उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा के न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में न तो अपीलान्ट को पक्षकार ही बनाया और न ही उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को किसी तरह का कोई नोटिस जारी किया गया व सुनवाई का कोई मौका भी नहीं दिया। जबकि अपीलान्ट विवादित भूमि के 1/2 हिस्से का सहखातेदार है। जिसे पक्षकार बनाया जाना व सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर दिया जाना आवश्यक था। विवादित भूमि को अपीलान्ट एवं बक्सीसिंह द्वारा निस्फ–निस्फ भंवरसिंह, गोपालसिंह, मानसिंह से जरिये पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 18.07.1968 से क्रय किया था, इसलिऐ अपीलाधीन आदेश से अपीलान्ट पीडित एवं प्रभावित पक्षकार है और अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अपीलान्ट की ओर से अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील पेश किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 96 तहत सीपीसी का भी पेश किया गया। हाल आराजी खसरा नम्बर 700/2.82 साविक खसरा नम्बर 1661 रकबा 11 बीघा 3 विस्वा है, जिसे अपीलान्ट एवं बक्सीसिंह द्वारा दिनांक 18.07.1968 को भंवरसिंह वगैरह से क्रय किया था और राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट एवं बक्स सिंह का नाम खातेदारी अंकित हो गई थी। वक्त क्रय अपीलान्ट की उम्र 06 साल एवं बक्ससिंह की उम्र 1 साल थी। सुरेन्द्रसिंह रैस्पोडेन्ट का यह कहना कि उसका नाम बक्ससिंह भी था और यही नाम चला आ रहा था व बाद में उसके पिता द्वारा नाम स्कूल में बदल दिया था व सुरेन्द्रसिंह एवं बक्ससिंह एक ही व्यक्ति हैं यह कथन कतई गलत है, क्योंकि अपीलान्ट चार भाई हैं जिनमें गणेन्द्र, लोकेन्द्रसिंह, बक्ससिंह, व सुरेन्द्रसिंह है। बक्ससिंह की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी व गणेन्द्रसिंह की मृत्यु दिनांक 22.9.1993 को हुई है। बक्ससिंह दिनांक 18.07.1968 को 1 साल का था, जिस समय विक्रय पत्र तस्दीक हुआ था उस समय रैस्पोडेन्ट का जन्म भी नहीं हुआ था, क्योंकि रैस्पोडेन्ट की पेन कार्ड में जन्म तिथि 20.06.1969 है, जो कि विक्रय दिनांक 18.07.1968 के बाद का है। अर्थात् विवादित भूमि का अपीलान्ट के पक्ष में जब विक्रय हुआ उस समय रैस्पोडेन्ट सुरेन्द्र सिंह का जन्म भी नहीं हुआ था। अतः यह कहना कि बक्ससिंह व सुरेन्द्रसिंह एक ही व्यक्ति हैं, गलत है। आराजी खसरा नम्बर 700 रकबा 2.82 हैक्टेयर के निस्फ हिस्से पर अकेले सुरेन्द्रसिंह का हक नहीं बनता है, बल्कि सुरेन्द्रसिंह के दो भाई अपीलान्ट एवं गणेन्द्रसिंह का बनता है, इसलिऐ रैस्पोडेनट का हक 1/2 नहीं होकर 1/6 ही

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

27/2/2015

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

बनता है। लेकिन रैस्पोडेन्ट ने वाला ही वाला गुपचुप तरीके से अधीनस्थ न्यायालय में तथ्यों को छुपाकर अपीलाधीन निर्णय पारित करा लिया है व उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा के न्यायालय में किसी को भी पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया। इसके अलावा उक्त प्रकरण में तहसीसलदार द्वारा भी मौका रिपोर्ट तथ्यों व रिकार्ड के विपरित पेश की गई है। बन्दोवस्ती सम्वत 2041 लगायत 2044 में जरिये शुद्धि पत्र संख्या 7/29.10.2011 रैस्पो0 द्वारा ही वाला ही वाला करवा लिया, उसकी भी कोई जानकारी अपीलान्ट एवं अन्य को नहीं होने दी, जबकि उक्त शुद्धिपत्र भी कतई गलत था। बक्ससिंह व सुरेन्द्रसिंह दोनों अलग–अलग व्यक्ति हैं, एक नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्टं न तो पक्षकार था और ना ही पक्षकार बनाया गया जबकि विवादित आराजी में निस्फ हिस्से पर अपीलान्ट सहखातेदार राजस्व रिकार्ड में अंकित था एवं शेष निस्फ हिस्से में भी अपीलान्ट का हिस्सा 1/6 बनता है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का अमल राजस्व रिकार्ड में हो चुका है। अपीलाधीन निर्णय अपीलान्ट की बैक पर एकतरफा में पारित किया गया है इसके अलावा बन्दोवस्ती समाप्ति के पश्चात धारा 136 एल आर एक्ट में उपखण्डाधिकारी को दुरूस्ती किये जाने के अधिकार नहीं है। इसके अलावा धारा 136 के तहत किसी भी व्यक्ति को नऐ खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते, बल्कि रिकार्ड के आधार पर जो अधिकार निहित थे और जो सही एवं वास्तविक स्थिति थी उसके अनुसार ही संशोधन किया जा सकता है। वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि उक्त धारा के तहत कोई लिपिकीय अशुद्धि अथवा ऐसी अशुद्धि जिसे पक्षकार स्वयं गलती होना स्वीकार करते हैं, को ही दुरूस्त किया जा सकता है, परन्तु उपरोक्त प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा द्वारा उक्त धारा में वर्णित प्रावधान के विपरित अपीलाधीन आदेश पारित कियां है, जो कि विधिविरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। उक्त तर्क के समर्थन में वकील अपीलान्ट ने 2023 (2) आर.आर.टी. पेज 799 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला दिया। इसी प्रकार आरआरडी 1990 पेज 441 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला देते हुए तर्क दिया कि उपखण्ड अधिकारी को भूप्रबन्ध संबंधी कार्यवाही समाप्त होने के बाद भू प्रबन्ध संबंधी रिकार्ड में धारा 136 के तहत दुरूस्ती करने का कोई अधिकार नहीं है। वकील अपीलान्ट ने आरआरडी 1990 पेज 384 पर उद्धरित निर्णय का हवाला देते हुए तर्क दिया कि उक्त नजीर में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रभावित पक्षकार को उसके विरूद्ध आदेश जारी किये जाने से पूर्व सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर दिया जाना आवश्यक है। इसी तरह के सिद्धान्त 1993 आरआरडी पेज 217 व 1994 आरआरडी पेज 215 पर उद्धरित निर्णयों में प्रतिपादित किये गये हैं। इस प्रकार उक्त अपीलाधीन आदेश बिना कोई कानूनी प्रावधानों के पारित किया गया है इसलिऐ निरस्तनीय है। रैस्पोडेन्ट द्वारा एक दावा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। जिसके नोटिस अपीलान्ट को दिनांक 24.12.2016 को प्राप्त हुये थे। वादपत्र की नकल देखने व पढने से अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का इल्म सर्वप्रथम दिनांक 24.12.

2016 को हुआ। इससे पहले अपीलांधीन निर्णय के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जानकारी होते ही अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त कर जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद अपील पेश की गई है तथा अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किये जाने हेतु दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र भी पेश किया गया है। जिसका रैस्पोडेन्ट की ओर से कोई जवाब या काउन्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया। इसलिए अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जावे। वकील अपीलान्ट ने आरआरडी 1991 पेज 440 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला देते हुए तर्क दिया कि किसी भी प्रभावित पक्षकार को नोटिस जारी किये बिना व सुनवाई का मौका दिये बिना जारी किये गये आदेश पर मियाद संबंधी प्रावधान लागू नहीं होते चूंकि उक्त प्रकरण में अपीलान्ट को न तो अदालत मातहत में पक्षकार बनाया गया और न ही उपखण्ड अधिकारी द्वारा किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी किया गया। इसलिए उपरोक्त प्रकरण पर मियाद संबंधी प्रावधान लागू नहीं होते। इसके बाबजूद भी अपीलान्ट द्वारा दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र भी पेश किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.02.2015 निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट की ओर से अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.02.2015 के विरूद्ध अदालत हाजा में दिनांक 12.01.2017 को मियाद बाहर अपील पेश किये जाने पर मियाद संबंधी बिन्दु रिजर्व रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण पर विचार किये जाने से पूर्व मियाद संबंधी बिन्दु को निर्णित किया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट की ओर से अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किये जाने हेतु दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र मीमो आफ अपील के साथ पेश किया है। जिसमें अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 24.12.2016 को रैस्पोडेन्ट की ओर से उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा में दायर वाद के संबंध में प्राप्त नोटिस के साथ संलग्न वाद पत्र के देखने से होने का उल्लेख करते हुए अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त होने के बाद जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद अपील पेश करने का उल्लेख किया गया है। इसके समर्थन में शपथ पत्र पेश किया गया है। रैस्पोडेन्ट की ओर से न तो अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र का कोई जवाब पेश किया है और न ही किसी प्रकार का कोई काउन्टर शपथ पत्र ही पेश किया। जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अपीलान्ट को प्रार्थना पत्र में वर्णित दिनांक के पूर्व से अपीलाधीन निर्णय के बारे में जानकारी रही हो। इसके अलावा वकील अपीलान्ट की ओर से बहस में वर्णित नजीर 1991 आर.आर.डी. पेज 440 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रभावित पक्षकार को सुनवाई का मौका दिये बिना बैक में पारित आदेश के संबंध में मियाद संबंधी प्रावधान लागू नहीं होते हैं। जबकि उक्त प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किये जाने

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

हेतु दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पेश किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर अविश्वास करने का कोई कारण नजर नहीं आता है। इसके अलावा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व माननीय राजस्व मण्डल द्वारा कई नजीरों में इस तरह के सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं कि अपीलीय न्यायालय को मियाद संबंधी बिन्दु पर अपील को खारिज किये जाने से बचना चाहिए तथा तकनीकी बिन्दु पर अपील को खारिज नहीं करना चाहिए। इस आधार पर भी अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र के आधार पर अपील को अन्दर मियाद माना जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

जहां तक अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण का प्रश्न है तो अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रैस्पोडेन्ट द्वारा उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा के समक्ष एक आवेदन पत्र नाम में शुद्धि किये जाने बाबत प्रस्तुत किया गया है। जिसके साथ तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072, सम्वत् 2041–2044, नकल मिलान क्षेत्रफल व पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा को प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट दिनांक 22.12.2014 की प्रति प्रस्तुत की। उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा को तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा गया। जिसकी पालना में तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा द्वारा भू अभिलेख निरीक्षक सारसोप को तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवाने के निर्देश दिए गए। भू अभिलेख निरीक्षक सारसोप द्वारा सम्वत् 2041 से 2044 की जमाबन्दी के आधार पर सम्वत् 2069 से 2072 की जमाबन्दी में बक्ससिंह पुत्र रघुवीरसिंह के स्थान पर रैस्पोडेन्ट का नाम दर्ज किया जाना उचित बताया है। उक्त रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा को प्रेषित की गई। जिसके आधार पर उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.02.2015 जारी किया गया, जो कि उचित नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा द्वारा रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत साधारण प्रार्थना पत्र के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। उक्त आदेश पारित करने से पूर्व विवादित भूमि के खातेदार लोकेन्द्र सिंह पुत्र श्री बक्ससिंह जो कि उक्त प्रकरण में अपीलान्ट है, को न तो किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी किया गया है और न ही सुनवाई व साक्ष्य सबूत पेश करने का पर्याप्त अवसर ही दिया गया है। जबकि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व एलआर एक्ट की धारा 136 में वर्णित प्रावधान के अनुसार प्रभावित पक्षकार को सुनवाई का मौका दिया जाना आवश्यक था। इस संबंध में वकील अपीलान्ट की ओर से बहस में वर्णित विभिन्न नजीरें यथा 1990 आर.आर.डी. पेज 384, 1990 आर.आर.डी. पेज 441, 1993 आर.आर.डी. पेज 217 व 1994 आर.आर.डी. पेज 215 पर उद्धरित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्त उल्लेखनीय है। जिसके तहत प्रभावित पक्षकार को सुनवाई का

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

22/2/2015
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

पर्याप्त व उचित अवसर दिया जाना आवश्यक है। वकील अपीलान्ट की ओर से बहस में वर्णित नजीर 2023 (2) आरआरटी पेज 799 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार एल.आर.एक्ट की धारा 136 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में खातेदारी अधिकारी प्रदान नहीं किये जा सकते। जबकि उक्त प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.02.2015 के द्वारा अपीलान्ट की खातेदारी समाप्त कर रैस्पोडेन्ट का नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया है, जो कि उपरोक्त नजीर में वर्णित सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा भी वकील अपीलान्ट की ओर से मीमो आफ अपील के साथ संलग्न रैस्पोडेन्ट सुरेन्द्रसिंह के पेन कार्ड की प्रति के अनुसार जन्म तिथि 26.06.1969 है। जबकि अपीलान्ट व बक्ससिंह के नाम विवादित भूमि का विक्रय पत्र दिनांक 19.07.1968 को तस्दीक हुआ है। इससे स्पष्ट है कि जब विवादित भूमि का विक्रय पत्र तस्दीक हुआ। उस समय रैस्पोडेन्ट का जन्म नहीं हुआ था। इस तथ्य की भी जॉच किया जाना आवश्यक था, परन्तु उपखण्ड अधिकारी द्वारा केवल मात्र तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जिसे उचित नहीं कहा जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.02.2015 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई व साक्ष्य पेश करने का पर्याप्त व उचित अवसर देने व वकील अपीलान्ट की ओर से बहस में वर्णित विभिन्न नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर एल.आर.एक्ट की धारा 136 में वर्णित प्रावधानों के तहत पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 27.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर